हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2) पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प ग्राम पंचायत धुवाला (मां) मे पेश हुई। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:22:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मांडल

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 पूजा सक्सेना आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प धुंवाला(मा0)

वाद संख्याः– 69/2019

अनवान

श्री शंकरलाल पिता बरदा सुथार निवासी लांगरों का खेड़ा तहसील मांडल जिला–भीलवाड़ा
---वादी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर सा0 भीलवाड़ा
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा0 मांडल ---प्रतिवादीगण

(वाद अन्तर्गत धारा 88–89–91 व 188–92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)
बाबत–घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 11.10.2021

वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88–89–91 व 188–92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को ग्राम धुंवाला(मा0) में स्थित आराजी नम्बर 13 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा किस्म बंजड़ में से 4 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 100 रकबा 38 बीघा 02 बिस्वा किस्म पेटा में से 1 बीघा 10 बिस्वा कुल 6 बीघा भूमि दिनांक 18.06.1992 को आवंटन किया। आवंटित भूमि पर वादी को कब्जा सिपुर्द किया गया तभी से वादी आवंटित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। भूमि को काफी लागत लगाकर व मेहनत कर काश्त योग्य व उपजाउ बनाया। भूमि पर आवंटन दिनांक से आज दिनांक तक कब्जा लगातार चला आ रहा है जिसे 20 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। परन्तु आज दिनांक तक मुझ वादी को आवंटित भूमि राजस्व रिकॉर्ड गैर खातेदारी से दर्ज नहीं किया न ही उक्त आवंटित भूमि का मुझ वादी के नाम कोई पट्टा या आवंटन आदेश ही जारी किया तथा आवंटित भूमि का कब्जा सिपुर्दगीनामा भी पटवारी हल्का द्वारा तैयार नहीं किया गया। वादी के साथ इसी ग्राम में दिनांक 18.06.1992 को अन्य व्यक्तियों को भी आवंटन कया गया। इसकी जानकारी वादी द्वारा जमाबन्दी की नकल लेने पर हुई कि आवंटित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम दर्ज चली आ रही है। वादी के विरूद्ध उक्त बिलानाम भूमि पर कब्जा होने पर भी किसी प्रकार की नाजायज कब्जे की कार्यवाही भी नही की गई है एवं न ही मौके से बेदखल ही किया गया है। अतः वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं यदि कोई कानूनी अड़चन हो तो आवंटित भूमि के नजदीक ही बिलानाम आराजी नम्बर 1313 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा में से या अन्य किसी आराजी में से उक्त आवंटित कुल रकबा 6 बीघा के बराबर के रकबे का आवंटन वादी के नाम पर कराया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रस्तुत वाद को श्रीमान के न्यायालय के [illegible] संख्या 4/2013 को अपने आदेश दिनांक 25.05.2015 से खारिज किए जाने से [illegible] माननीय राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:22:59 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई। अपील संख्या 179/2016 आदेश दिनांक 04.06.2019 से श्रीमान के आदेश दिनांक 25.05.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को पुनः सुनवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किए जाने से वाद पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली कैम्प धुंवाला(मा0) पर पेश हुई। वादी शंकरलाल सुथार ने कैम्प में उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत किए जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। राजकीय पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार मांडल स्वयं उपस्थित। वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में वादी एवं पेरोकार को सुना एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन किया गया।

हमने उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली में प्रस्तुत वाद के तथ्यों एवं पेरोकार सरकार की ओर से प्रस्तुत जवाब व मौका निरीक्षण रिपोर्ट तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी ने बताया कि वादी को दिनांक 18.06.1992 को ग्राम धुंवाला(मा0) की आराजी नम्बर 13 में से 4 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 100 मे से 1 बीघा 10 बिस्वा कुल 6.00 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई। दिनांक 18.06.1992 के कैम्प में मुझ वादी के साथ श्री रतनलाल पिता कालूसिंह राजपूत निवासी धुंवाला, अजीमा बेवा छोटे खां मुसलमान निवासी दांता व श्री जगदीशचन्द्र पिता लक्ष्मण ब्राह्मण निवासी धुंवाला को भी भूमि आवंटित की गई आवंटन आदेश की फोटो प्रति प्रस्तुत है।

आवंटित भूमि का कब्जा मुझ वादी को सौंपा गया तभी से वादी सद्भाविक काश्तकार के रूप में काबिज होकर काश्त करता आ रहा हूँ। आवंटित ग्राम धुंवाला की आराजी नम्बर 13 बिलानाम काबिल काश्त पर वादी का 5 बीघा भूमि एवं आ0नं0 100 पेटा की भूमि पर वादी का 2 बीघा भूमि के चारों तरफ थोहर की बाड़ लगाकर वादी ने कब्जा कर रखा है। वादी के विरूद्ध उक्त कब्जेशुदा भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। वादी की कब्जेशुदा आराजीयात में आ0नं0 13 को किसी अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं कर रखा है। आ0नं0 100 की किस्म पेटा होने से उक्त आराजी में से आवंटन नहीं किया जा सकता है एवं न ही उक्त आवंटन निरस्ती हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में में पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार मांडल के मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021 पत्रावली में प्रस्तुत है।

कैम्प धुंवाला(मा0) में दिनांक 18.06.1992 को रतनलाल पिता कालूसिंह राजपूत निवासी धुंवाला को आ0नं0 2570 में से ,अजीमा बेवा छोटे खां मुसलमान निवासी दांता को आ0नं0 1013 में से व जगदीशचन्द्र पिता लक्ष्मण ब्राह्मण निवासी धुंवाला को आ0नं0 1031 में से भूमि आवंटित की गई थी जो इनके नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी से दर्ज कर दी गई उनके राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत् 2048 से 2051 की प्रमाणित प्रतियां पत्रावली में पेश की है। मैंने आवंटन के सम्बन्ध में एवं कब्जे के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत कर वाद को सिद्व कराया है। अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे।

वादी के तथ्यों के खण्डन में पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार मांडल द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं । यहां तक कि स्वयं के मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021 से भी यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 18.06.1992 को वादी को किए गए आवंटन को निरस्ती हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई न ही वादी को आवंटित ग्राम धुंवाला(मा0) की बिलानाम आ0नं0 13 में 5 बीघा भूमि पर क... ...रूद्ध किसी प्रकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:22:59 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. ... सक्सेना
उपखण्ड ... माण्डल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

नाजायज कब्जे की कार्यवाही राज्य पक्ष की ओर से किया जाना सिद्ध नहीं होता है। अर्थात दिनांक 18.06.1992 को ग्राम धुंवाला(मा0) में आयोजित आवंटन कैम्प में वादी शंकरलाल पिता बरदा सुथार को आ0नं0 13 में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह उचित समझते हैं कि वादी को ग्राम धुंवाला(मा0) की आ0नं0 13 किस्म बंजड़ में 4 बीघा 10 बिस्वा व आ0नं0 100 किस्म पेटा में 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 18.06.1992 को किया गया जिस पर वादी का कब्जा काश्त होना मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021 से सिद्ध होता है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया कि उक्त आवंटन निरस्ती हेतु धारा 14(4) की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है न ही नाजायज कब्जे की कार्यवाही प्रस्तावित है। आराजी नम्बर 100 की किस्म पेटा होने से (नदी,नाला, तालाब तल) की भूमियों का किसी तरह से स्थायी आवंटन नहीं किया जा सकता है इस प्रकार आराजी नम्बर 100 में किया गया 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन को वादी किसी तरह से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है परन्तु आ0नं0 13 में से किए गए आवंटन 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि को वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतएव–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम धुंवाला(मा0) की आराजी नम्बर 13 किस्म बंजड़ में से वादी के कब्जे अनुसार 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम पर खातेदारी से दर्ज की जावे तथा कब्जे अनुसार नक्शे में तरमीम किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश दिनांक 11.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प–ग्राम पंचायत धुंवाला(मा0) पर सुनाया गया।

(डॉ0पूजा सक्सेना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मांडल

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:22:59 IST
Reason: SelfAttested